THE COURT

191 of 2017 B.A


	4	
Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12/06/2017	आवेदक / आरोपी रामजीतिसंह द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता उपस्थित । राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित ।	
ALIAN STATE	पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क0—48 / 2017 अंतर्गत धारा—460, 396 भा.दं.वि0, 11 / 13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट एवं धारा—25, 27 आयुध अधिनियम	
TI	आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के पिता मुंशीसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।	
	आवेदनपत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—438 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य	
	आवेदनपत्र समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र पर	3
	उभयपक्ष के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूंठा फंसाया गया है, वे	
	जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार हैं। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।	
	राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह बघेल ने मौखिक रूप से घोर विरोध किया है और आवेदनपत्र निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।	
	उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि0—25/04/2017 की शात 6—7 बजे फरियादी संतोष	
	जाटव के पिता रामसनेही घर से खाना खाकर टावर पर डयूटी के लिये गया था, जब वे सुबह लौटकर नहीं आया	

तो संतोष जाटव ने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सर्वा के पूरा के पास बी.एस.एन.एल. टावर कैंपस पर जाकर देखा तो टावर के गेट का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। संतोष के पिता रामसनेही की लाश औंधे मुंह पड़ी थी तथा हाथ-पैर पीछे की ओर बंधे थे तथा मुंह व गले में साफी का फंदा पड़ा था, पैर के पंजे, बाजू, आंखों में चोटों के निशान थे। खाट व दरी में खून लगा था एवं खाट के नीचे खून पड़ा था। संतोष के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आ गयी। घटनास्थल पर ही देहाती नालिसी लिखी गयी। रामसनेही की हत्या ताला तोडकर चोरी करते समय रामसनेही के द्वारा विरोध करने पर की गयी । दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक-25 एवं 26/04/2017 की रात्रि में बंटी उर्फ केशव राटौर, रिंकू उर्फ योगेश, भूपेन्द्रसिंह गुर्जर, विजय राठौर, बंटी उर्फ केशव का भाई रामजीत तथा डोली राठौर ने मिलकर ग्राम सर्वा के पुरा के पास मोबाइल के टावर से 24 बैट्रियां डकैती कर ले गये थे। टावर पर चौकीदार के द्व ारा विरोध करने पर उसे बांधकर मुंह व गले में फंदा लगाकर तथा सरियों से मारपीटकर हत्या कर बैट्रियां ले गये थे।

केशव उर्फ बंटी राठौर से लोहे की एक रिंच, 05 बैट्रियां एक्साइड कंपनी की, योगेश उर्फ रिंकू से एक 315 बोर का कटटा, 02 जिंदा कारतूस, विजय राठौर से 315 बोर का एक कटटा, 02 जिंदा कारतूस, एक सफारी गाड़ी काले रंग की जिसपर नंबर प्लेट एम.पी.07 बी.ए.—2062 लिखा है, व 02 बैट्रियां, भूपेन्द्र उर्फ भूपे गुर्जर से एक सरिया लोहे का एवं काले रंग की 03 बैट्रियां, रिंकू उर्फ योगेश से 07 काले रंग की बैट्रियां, जब्त की गयी हैं। केस डायरी के अ

नुसार रिंकू उर्फ योगेश के विरुद्ध 13 अन्य आपराध प्रकरण, बंटी उर्फ केशव के विरुद्ध 08 आपराधिक प्रकरण, विजय राठौर के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण, भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध 06 आपराधिक प्रकरण हैं। इस मामले में अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या सहित डकैती की गयी है।

म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा—5 (1) मुताबिक डकैती अधिनियम के अपराध में अग्रिम जमानत आवेदनपत्र गृहण किये जाने योग्य नहीं है, अतः उक्त अधिनियम की धारा—5 (1) की मंशा के तहत आरोपी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र गृहण किये जाने योग्य



WITHOUT PROOF BUTTER BU

ALINATA PRESIDE ALIANTI DE LA SILITA DEL SILITA DE LA SILITA DEL SILITA DE LA SILITA DEL SILITA DE LA SILITA